



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 73वीं विशेष बैठक

दिनांक : 28.01.2011

मध्याह्नः 12:00 बजे

प्रबन्ध बोर्ड की 73वीं विशेष बैठक दिनांक 28.01.2011 को मध्याह्नः 12:00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड बैठक कक्ष में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. प्रो. के.के..शर्मा, अजमेर
(कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) | सदस्य |
| 3. प्रो० एस.एन.सिंह, अजमेर
(कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) | सदस्य |
| 4. डॉ० रघुनंदन शर्मा (डॉ० रघु शर्मा), विधायक, केकड़ी
(विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) | सदस्य |
| 5. प्रो. रमाकान्त, जयपुर
(कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) | सदस्य |
| 6. प्रो. पी.एस. वर्मा, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) | सदस्य |
| 7. श्री अतुल शर्मा,
संभागीय आयुक्त
(शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 8. डॉ. वेंकट रमणी,
विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा,
(शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 9. श्री के.आर.सिलोलिया,
निदेशक (आयुक्त),
महाविद्यालय शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| 10. श्री बी.एल.सुनारिया, कुलसचिव | सदस्य सचिव |

अनुपस्थित सदस्य

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. श्री कमल बैरवा, विधायक, निवार्ड
(विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) | सदस्य |
| 2. शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर | सदस्य |

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का कुलपति महोदय ने स्वागत किया एवं प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों से प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही संपादित करने में सहयोग की अपेक्षा की, तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य—सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ।

मद	विवरण	अनुभाग / विभाग
मद सं. 1	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम, 1987 के परिनियम 1 (1) के निम्नलिखित प्रावधान में (क) के अन्तर्गत तीन सदस्यीय कुलपति चयन समिति पर एक सदस्य का नाम निर्देशित करना :	शैक्षणिक—I
	<p>1. कुलपति – (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित तीन सदस्यों की एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा :</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या उसके किसी भी महाविद्यालय से सम्बन्धित न हों ; (ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक शिक्षाविद् ; और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति । <p>निर्णय सर्वसम्मति से प्रो. बी.एम. शर्मा, कुलपति कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का नाम कुलपति चयन समिति पर एक सदस्य के रूप में निर्देशित किया ।</p>	

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव